

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.11.2022	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास चुनाया गया। प्रकरण फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	